न्यायालय अपील अधिकारण (जिलामजिस्ट्रेट) जोधपुर

ठासीन अधिकारी :– डॉ.रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस.

रण पोषण अधि. अपील संख्या : 03/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
– श्रीमती हापू बाई पत्नी केसूजी निवासी म.नं. 96, भाग सं.–2, वार्ड सं.–11, कन्हैया कॉलानी, संतधाम रोड़, गुरों का तालाब प्रताप नगर, जोधपुर। हाल अस्थाई निवासी–सांगरिया फांटा व नया बस स्टेण्ड के पास, बालोतरा।		1– धर्माराम पुत्र केसूजी जाति कुम्हार निवासी गावं खारड़ा, कुम्हारों की ढाणियां तहसील औसियां जिला जोधपुर 2–शिवनोराम पुत्र केसूजी जाति कुम्हार निवासी–सांगरिया फांटा मैन, सालावास रोड़,सोनामुखी नगर, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.05.17 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) द्वारा धारा 5 सपठित धारा 23, 24 माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के आवेदन पर निवास संबंधी अनुतोष खारिज फरमाया से व्यथित होकर।

2– **भरण पोषण अधि. अपील संख्या : 11**/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1– शिवनोराम उर्फ शिवलाल पुत्र केसूजी जाति कुम्हार निवासी सांगरिया फांटा, मैन सालावा रोड़, सोनामुखी नगर, जोधपुर।		1–श्रीमती हापूबाई पत्नी केसूजी जाति कुम्हार निवासी म.नं. 35, खसरा नम्बर 132/1, सांगरिया फांटा बालाजी नगर जोधपुर।

लगातार...

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.05.17 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) द्वारा धारा 5 सपठित धारा 23, 24 माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत 1500/–रूपये रूपये भरण पोषण हेतू।

उपस्थितिः– निर्णय दिनांक 29.11.2017

1– अपीलार्थीपक्ष उपस्थित (दोनों अपीलो में)
2– प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित (दोनों अपीलों में) लगातार..

आदेश

उक्त दोनों अपीलों में एक ही पक्षकार एवं एक ही आदेश के विरूद्ध पेश होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी–हापूदेवी (अपील सं. 03/17) ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 सपठित धारा 23 व 24 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 के तहत पेश करते हुए भरण पोषण भत्ता देने व मकान नं. 96, कन्हैया कॉलानी, संतधाम रोड़, गुरों का तालाब, प्रतापनगर जोधपुर में बने ठावों से अप्रार्थी/प्रत्यर्थी के कब्जे में है, को खाली कराने के लिए उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष पेश हुआ। उपखण्ड अधिकरण जोधपुर द्वारा अपीलार्थी हापूदेवी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.05.17 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण धर्माराम व शिवनोराम को 1500/–, 1500/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता देने आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी हापूदेवी व शिवनोराम ने ये अपीलें पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर (03/2017 व 11/2017) कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गया तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी/प्रत्यर्थी–हापूदेवी व अपीलार्थी/प्रत्यर्थी– शिवनोराम अजखूद उपस्थित। दोनों अपीलों में लिखित बहस भी पेश हुई तथा आज दिनांक 29.11.2017 को

लगातार....

उभयपक्ष को सुना भी गया।

अपीलार्थीया हापूबाई की ओर से लिखित बहस में बतलाया कि भरण पोषण का आदेश के पश्चात् शिवनोराम ने आज दिन तक भत्ता नहीं दिया। शिवनोराम ने फर्जी राजीनामा कर मुझे 600/—रूपये पूर्व में खर्चे के देना तय किया था जो राशि भी शिवनोराम ने नहीं दी फर्जी राजीनामा को ए.सी.जेएम.—2 जोधपुर न्यायालय में चुनौति दे रखी है। बहस में यह भी बतलाया कि शिवनोराम ने मुझे मेरे मकान जो 96, गुरों का तालाब कन्हैया कॉलानी में आया हुआ है जिससे बेदखल कर दिया, मुझे उसका कब्जा वापस दिलाया जाय। उक्त मकान ध्वस्त नहीं किया है आज भी मौके पर मौजूद है। बहस में यह भी कहा कि शिवनोराम ने झूठ जबाब दिया है। अन्त में मकान का कब्जा दिलाने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थी शिवनोराम ने अपनी जबाब/बहस में बतलाया कि मेरे पिताजी मेरे पास रहते है तथा मैं मजदूरी करता हूॅ। मेरा लालन पालन शादी ब्याह उसके पिता केसूजी एवं दादा हुकमाराम द्वारा किया गया। प्रत्यर्थी—2 के पिता केसूजी ने लोकलाज से अपनी पत्नी हापूबाई को ख.नं. 132/1 ग्राम सांगरिया जोधपुर बालाजी नगर में प्लॉट सं. 35 खरीद कर मकान बनाकर दिया है जिसमें हापूबाई अपने दूसरे पुत्र धर्माराम के साथ वर्तमान में स्थाई रूप से निवास करती है एवं उसमें जो किरायेदार रहते है उनसे किराया लेकर अपना जीवन यापन आराम से करती है। आगे यह भी कहा कि अब हापूबाई द्वारा हर प्रकार से उसके पति केसूजी एवं पुत्र शिवनोराम उर्फ शिवलाल को अपने दूसरे पुत्र धर्माराम के साथ मिलकर तंग एवं परेशान किया है। स्वयं की ओर से प्रस्तुत अपील (11/17) में जाहिर किया कि वो मासिक गुजारा भत्ता देने में असमर्थ है क्योंकि वो स्वयं मजदूर पेशा व्यक्ति है एवं उसके पिता केसूजी एवं दादा हुकमाराम एवं अपीलार्थी की पत्नी, बच्चे उसके साथ निवास करते है। अन्त में अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश निरस्त करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थीया हापूबाई ने अपील में मुख्यरूप से मकान नं. 96, कन्हैया कॉलानी, संतधाम रोड़, गुरों का तालाब, प्रतापनगर जोधपुर में बने ठावों से अप्रार्थी/प्रत्यर्थी—शिवनोराम को बेदखल कर कब्जा दिलाने की प्रार्थना

लगातार....

की गई। अधीनस्थ अधिकरण के मूल रिकॉर्ड का अध्ययन करने से प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी शिवनोराम का यह कथन स्वीकार योग्य है कि अपीलार्थीया हापूदेवी के नाम का कृषि भूखण्ड बालाजी नगर, ग्राम सांगरिया के ख.नं. 132/1 रकबा 15.04 बिस्वा भूमि में खरीदसुदा आया हुआ है तथा मौके पर निर्माण भी किया हुआ है अतः अपीलार्थी को निवास करने की सुविधा भी है। विवादग्रस्त मकान सं. 96 जो कन्हैया कॉलानी, संतधाम रोड़ गुरों का तालाब जोधपुर स्थित है उस पर अपीलार्थीया के मालिकाना हक हकूक होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ है, न अपील कार्यवाही में भी पेश किया गया। अधीनस्थ अधिकरण ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि विवादग्रस्त मकान पर किसी भी पक्षकारा का टाईटल नहीं है तथा सरकारी भूमि पर बना हुआ है। अतः अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थीया/प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र अधिनियम की धारा 23 के तहत पोषणीय नहीं मानते हुए किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया, हम उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरूप अपील सं0 03/17 निरस्त योग्य है। अपीलार्थी शिवनोराम द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण संख्या 11/2017 में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधिनियम की 16(1) के तहत यह अपील पोषणीय है या नहीं, देखना है। 16(धारा 1) के अनुसार अपीलें :–

Any senior citizen or a parent, as the cash may be, aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the Appellant Tribunal;

provided that on appeal, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such maintenanse order shall continue to pay to such parent the amount so ordered, in the manner directed by the Appellate Tribunal:

उपरोक्त कथन से स्पष्ट होता है कि माता–पिता या वरिष्ठ नागरिक ही अधिकरण के किसी आदेश के विरूद्ध अपील दायर कर सकता है। प्रस्तुत अपील शिवनोराम जो प्रत्यर्थीगण हापूबाई का पुत्र है, के द्वारा पेश की गई अतः अपील अधिकरण के समक्ष यह अपील पोषणीय नहीं है। अपीलार्थीपक्ष उपखण्ड अधिकरण के आदेश से किसी प्रकार से व्यथित है तो उसे विधिक प्रावधानों के तहत अधिकरण के

लगातार....

समक्ष रिव्यू या सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। परिणामस्वरूप यह अपील सं. 11/2017 भी पोषणीय नहीं होने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त दोनों अपीलें (03/2017 एवं 11/2017) निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश दोनों अपीलों के संलग्न किया जावे। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।